संख्या-17 /2024/333ई-2/तेरह-2024-1803769

प्रेषक,

दुर्गा सिंह

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः:दिनांक 8 जून,2024

विषयः-मेसर्स एटमॉस 29 हॉस्पिटेलिटीज प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.-16ए/सीपी-2156, सेक्टर-18ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद उ.प्र. 201010 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "एटमॉस 29 हॉस्पिटेलिटीज प्रा.लि." पता-5वॉं तल जीएच 4, सेन्ट्रल प्लाजा मार्किट, सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उ.प्र. को माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-152/दो-प्रा.एम.बी.(26)/लघु यवासवनी, दिनांक 15-03-2024 तथा पत्र संख्याःजी-03/दो-प्रा.एम.बी.(26)/लघु यवासवनी, दिनांक 03-04-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15-03-2024 तथा 03-04-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स एटमॉस 29 हॉस्पिटेलिटीज प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.-16ए/सीपी-2156, सेक्टर-18ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र., 201010 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "एटमॉस 29 हॉस्पिटेलिटीज प्रा०लि०" पता 5वाँ तल जीएच 4, सेन्ट्रल प्लाजा मार्किट, सेक्टर-4 ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उ०प्र० को 150 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 52,500 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम०बी०-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त उक्त इकाई को माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट टू आपरेट दिनांक 29-12-2020 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(5) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।